

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309. ई-मेल:-jacct-dta @rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(/2013) अलेसे-II/ 398

दिनांक:- 19.6.25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नव-नियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों (परीक्षार्थी, प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के अनुसरण में अग्रिम अध्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी:-

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार श्री/श्रीमती/सुश्री	पाठ्यक्रम का नाम एवं सत्र	संस्थान जिससे पाठ्यक्रम किया जाना है/परीक्षा आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	अजय कुमार मीणा	एम.ए फाईनल (अंग्रेजी) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	उपमहाप्रबंधक, सब पी.आई.यू. बांरा-II ईआरसीपीसी
2.	चतुर सिंह भाटी	एम.ए फाईनल (राजनीतिक विज्ञान) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी) (प्रथम वर्ष)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	कोषाधिकारी, फलौदी जिला फलौदी।
3.	अमरकान्त	एम.ए प्रिवियस (अर्थशास्त्र) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सैपऊ (धौलपुर)
4.	भानुप्रताप सिंह	एम.कॉम फाईनल (EAFM) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	कोषाधिकारी, सीकर। (APO)
5.	अनिता बैरवा	एम.ए/एम.एस.सी फाईनल (गणित) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
6.	आंकाक्षा जैन	एम.बी.ए वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7.	अशोक कुमार	एम.ए फाईनल (इतिहास) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।	कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरु।
8.	अजय कुमार	एम.ए फाईनल (समाजशास्त्र) वर्ष 2024-25 (स्वयंपाठी)	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।	कार्यकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, धवा, जोधपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और अस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 19.6.25

क्रमांक:- एफ.3(ख)/(/2013) अलेसे-II/ 398

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय (तालिका के कॉलम 6 के अनुसार)।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III))